# **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

# **BETWEEN**

Punjab Engineering College, Deemed To Be University
Sector-12, Chandigarh-160012





# **AND**



CSIR- Central Scientific Instruments Organisation Sector- 30 C, CHANDIGARH - 160030

March 21, 2021





This Memorandum of Understanding (MoU) is entered into on the Day of March 21, Two Thousand and Twenty one at Chandigarh.

This Memorandum of Understanding (MoU) sets for the terms and understanding between:

### BY and BETWEEN

- : (i) Council of Scientific & Industrial Research (CSIR), a Society registered under the Societies Registration Act (XXI of 1860) having its Registered Office at Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110 001 through its constituent laboratory Central Scientific Instruments Organisation (here-in-after referred to as 'CSIR-CSIO') represented by the Director, having its office at Sector 30 C, Chandigarh-160030.
  - (ii) Punjab Engineering College (Deemed To Be University) (abbreviated as PEC or PEC, Chandigarh) functions under the control of the Government of India through the Chandigarh Administration (here- in-after referred to as 'PEC, Chandigarh'), represented by its Director, having its office at Sector 12, Chandigarh-160012.

# 1. Preamble

#### CSIR-CSIO

CSIR-CSIO is a premier R&D organisation engaged in undertaking research, design and development of scientific & industrial instruments. CSIR-CSIO is also a participating lab for M.Tech and Ph.D program under Academy of Scientific & Innovative Research (AcSIR). CSIR-CSIO also runs skill development programs in the area of Precision Manufacturing and Mechatronics and Industrial Automation at CSIO- Indo-swiss training centre, since 1963.

# PEC, Chandigarh

PEC, Chandigarh is a premier Academic Institute of National Importance functions under the control of the Government of India through the Chandigarh Administration. It is engaged in the field of education and research particularly in engineering and technology and applied sciences.

# Areas of Common Interest

Both the Institutes have agreed today, i.e. on 21st March 2021 to enter into a scientific collaborative understanding on the terms and conditions enumerated in this MoU.

For the purpose of this MoU, the general areas of interest common to both organisations are mentioned below. CSIR-CSIO and PEC, Chandigarh (both also referred as institutes/institutions) shall seek to promote:

ayitch.

- Anaulte R

Page 1 of 8





- i. Exchange of Staff and Students (Faculty, Research Scholars, Postgraduate Students (PG), Undergraduate Students (UG), Post Graduate Diploma Students (PGD) and Research Project Employees etc.) in relation to pursuing academic and research programs for the mutual benefit of both institutions. This includes joint supervision of full time or part time Ph.D. scholars as per the governing rules of the Institutes.
- ii. Sharing of expertise, domain knowledge and available facilities in mutually agreed research areas (viz. COE's, IoT, IIoT, Product Design, Renewable Energy, Prototyping, Mechatronics and Industrial Automation, Physics, Photonics, Optics, Chemistry, Agrionics, Biomedical, Material Science, Nano science and Nanotechnology, Electronics, Computer Science, Cyber Security, Data Science, Mechanical Engineering and any other areas of common interest in Engineering and Technology and applied Sciences for basic research as well as for research and development of techniques, instrumentation etc.
- iii. Promoting interaction among the scientists, professors and research scholars of both the organizations by exchange visits and/or organizing brainstorming sessions to identify, formulate and pursue joint research programs including externally funded schemes, Consultancy activities in emerging thrust areas of mutual interest.
- iv. Promoting cooperation among working groups on mutually agreed research areas and collaboration in Teaching under AcSIR (Academy of Scientific & Innovative Research).
- v. Exchange of Academic and Research Material for joint publications and Intellectual Property (IP) rights. Such IP would acknowledge joint inventorship of personnel/ students of both the institutions, as applicable.
- vi. Exchange of students for Summer/Winter Internships and for UG/PG/Ph.D thesis.
- vii. Technology Management and Technology Transfer.
- viii. Writing of Books/ Booklets jointly in the common areas listed above or in any other area of mutual interest.
- ix. Provision of cultural and intellectual enrichment opportunities for staff and students of both institutions.
- Any other areas of mutual interest.

# 2. Areas of Cooperation

The areas of cooperation will be defined and modified from time to time by the Coordination Committee set up for the purpose.

The identified areas of cooperation / activities under this MoU will include:

- (A) Staff exchange activities covering visits to either institution for any of the following purposes:
- Undertaking joint research project

Dy'th.

SAmuellul Page 2 of 8





- ii. Sharing of facilities in the existing Centre of Excellences (COE's) / Laborotories for mutual benitits
- iii. Attachment of staff for purposes of curriculum development & review, attending courses and upgradation in teaching & research skills
- iv. Participation in seminars, colloquia and other academic discussions
- v. Contributions to teaching programs
- vi. Co-supervision of postgraduate diploma, postgraduate and Ph.D. Students
- vii. Conduct study tours and joint consultancy and research work
- viii. Facilitation for pursuing academic courses (postgraduate, doctoral) for CSIR-CSIO employees at Punjab Engineering College (PEC), Chandigarh
- ix. Skill upgradation training programmes
- x. Faculty development programs
- (B) Student exchange activities (for undergraduate, postgraduate diploma, postgraduate and doctoral Students) covering visits to either institution for any of the following purposes:
- i. Participation in Research
- ii. Internship for Punjab Engineering College (PEC), Chandigarh Students at CSIR-CSIO
- iii. Internship for AcSIR students at Punjab Engineering College (PEC), Chandigarh
- iv. Internship for CSIO-ISTC students at Punjab Engineering College (PEC), Chandigarh
- v. Carrying out experiments by the students across the laboratories of both the Institutes
- (C) Exchange of relevent Academic Materials will be carried out subject to mutual agreement of the institutions.

# 3. Implementation of Cooperation / Coordination Committee

Implementation of cooperation based on this MOU shall be dealt with between the relevant Faculties and Divisions/Departments of both Institutions. Wherever necessary, a specific plan shall be worked out for each activity setting forth detailed arrangements for collaboration. Such plans shall be subject to approval of the appropriate authorities of each institution. To facilitate development of such plans, each institution shall nominate its staff to coordinate activities arising under this agreement.

The following will constitute the Coordination Committee to monitor and review the collaborative program between the two institutions:

- i. Director, CSIR-CSIO or his nominee(s)
- ii. Director, PEC, Chandigarh or his nominee(s)
- iii. Coordinators from CSIR-CSIO Dr. VD Shivling and Dr. Narinder Singh Jassal
- iv. Coordinator from PEC, Chandigarh

The coordination committee shall

on tyl-

Page 3 of 8





- Consider new R&D proposals for joint collaboration, its implementation, financial arrangements etc.
- Review the identified programs and consider the modification in the areas of cooperation between two Institutes.
- Consider the continuance of the MoU.

# 4. Protection of IPR

In broad terms, the IPR issues will be based on the following:

- All research results and foreground information as well as foreground intellectual property rights, generated during the joint research work, whether or not legally projected, shall be owned jointly by CSIR-CSIO and PEC, Chandigarh.
- ii. CSIR-CSIO and PEC, Chandigarh shall consult each other before publishing any research results and foreground information generated during the joint research to ensure that no proprietary information is released and that foreground intellectual property rights are not jeopardized. Post consultation, any such publication proposal, shall be deemed approved in the event there is no objection from the party seeking to oppose within a period of thirty (30) days of receipt of a content(s) of such a publication, both parties agree to suitably modify/ amend the content thereof in order to avoid disclosure of confidential information or patentable material. In any case, a party may delay publication till a period of ninety (90) days or the filing of a provisional application which ever earlier. CSIR-CSIO and PEC, Chandigarh shall confer and consult each other regarding preparing, filing prosecuting, maintaining of Intellectual Property Rights applications including patent applications covering research results and foreground information generated during the joint work.
- iii. CSIR-CSIO and PEC, Chandigarh shall not disclose any research result and foreground information, generated during the joint research, to any third party without seeking prior written permission from each other. Any scientific information exchanged / shared between the parties for joint research / supervision will not be transferred to third party in any form without the consent of the parties.

# 5. Terms of Collaboration

- CSIR-CSIO and PEC, Chandigarh agree to enter into collaboration on research & development, faculty and student exchange with pre-defined objectives, scope of work and mutual obligations, terms & conditions, financial arrangements, Intellectual Property Rights and similar contractual obligations.
- ii. In so far as any third party is concerned, this MoU will be valid only when a letter from both parties is enclosed specifically expressing concurrence and an officer identified by name representing respective institutes and responsible for the specified project.

- Audil

Page 4 of 8





- iii. In case either party wins a joint consultancy project by projecting this MoU, a liability is created immediately in respect of royalty/ premium due to either party. Either party shall concur with the liability. The exact amount of liability will be arrived at after mutual consent by both the parties based on the guidelines of the project granting agency i.e. DST/DSIR/CSIR/MHRD etc.
- iv. In case either party decides to permit use of its equipments, facilities, manpower to the other for executing a project, the scope of such a project, cost estimates of the project, modalities of payment and all other related aspects would be worked out jointly by CSIR-CSIO and PEC, Chandigarh through separate proposals as per the guidelines of the project granting agency i.e. DST/DSIR/CSIR/MHRD etc.
- v. Participating Staff and Students involved in any activities under this MoU must adhere to laws of the country and rules & regulations of the host institutions.
- vi. Ownership of any research findings shall be vested in both parties through this MoU and any publications regarding the same shall only be possible after prior approval from both parties.

# 6. Disclaimer

This MoU is not intended by CSIR-CSIO and PEC, Chandigarh to constitute, create, give effect to, or otherwise recognize a joint venture, agency, partnership or formal business organization of any kind. Each party hereto shall act as an independent entity and neither shall act as an agent of either organisation for other purposes. Neither party has the authority to bind the other party.

### 7. Non-exclusive

The agreement reflected by the provisions of this MoU is non-exclusive in nature and both the parties can enter into cooperative arrangements with other parties to suit their organisational needs.

# 8. Confidentiality

The parties understand that in the course of their association, they shall have access to confidential information provided by the other party. Accordingly, the parties agree that such information shall be maintained in the strictest confidence and trust, except such information which, by its nature, is not confidential or which is in the public domain or which the party comes to know about other than through violation of any law or legal obligation, provided that such party may be entitled to disclose such information if legally required to be disclosed to a Competent Authority. Failure to maintain confidentiality shall entitle the affected party to terminate the MoU.

# 9. Period of Validity

The MoU would be valid for a period of <u>Three (03) years</u> from the date of signing by the parties. At the end of validity period of the MoU, a fresh MoU with similar/modified terms may be considered for the renewal.

Dy tyl.

Page 5 of 8





### Reviews

The MoU shall be reviewed periodically by both the parties and additions/deletions can be done with mutual consent.

#### **Termination** 11.

The MoU can be terminated by either party after giving one month's written notice to the other party subject to fulfilment of commitments already agreed upon. Provisions of this MoU shall continue to apply to ongoing activities until their completion.

#### 12. Amendment

The MoU constitutes the understanding between the parties hereto. Except as otherwise provided herein, no addition, amendment or modification of this MoU shall be effective unless it is in writing and signed by both parties by their respective authorized signatories.

#### 13. Resolution of disputes

In the event any dispute or conflict of interest arising in the implementation of the MOU endeavour shall be made to resolve such dispute by way of mutual discussion between the parties.

The undersigned, duly authorized, have signed this Memorandum of Understanding at Chandigarh on 21st March 2021. It has been executed in two copies which are equally valid. One copy is retained by CSIR-CSIO and other by PEC, Chandigarh.

(Prof. S.A. Ramakrishna)

- Shoult Rouble

Director

CSIR-Central Scientific Instruments Organisation

Sector 30 C, Chandigarh

Director केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन Central Scientific Instruments O सेक्टर 30, चण्डीगढ-160 030 Sector 30, Chandigarh-160 030

Witness

(Dr. AK Shukla)

Head, Business Development & Project Management (BDPM)

CSIR-CSIO

(Prof. Dheeraj Sanghi)

Director

Direction Engineering College, Punjab Engineering College (Deemed to be University)

Chandigarh

(Prof. Divya Bankal) emational Relations

Dean Alumni, Corporate & International Relationsersity

PEC, Chandigath handigath

PROF. R. M. BELOKAR Page 6 of 8

Prog. Director Co E-Siemens PEC, Chandigal.





Page 7 of 8

# पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, डीम्ड टू बी युनिवर्सिटी सैक्टर-12, चण्डीगढ़-160012





तथा



सीएसआईआर-केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन सैक्टर-30, चण्डीगढ़-160030

के बीच समझौता ज्ञापन

21 मार्च, 2021

# समझौता ज्ञापन

# यह समझौता 21 मार्च, 2021 को चण्डीगढ़ में निम्नलिखित के बीच हुआ :

(i) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (21/1860) के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसायटी, जिसका पंजीकृत कार्यालय अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली (यहां इसके बाद और जहां कहीं आवश्यक हो सीएसआईआर कहा जाएगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी एवं अनुज्ञेय सहयोगी शामिल है) की घटक प्रयोगशाला केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, सैक्टर-30, चण्डीगढ़-160030 (यहां इसके बाद इसे सीएसआईआर-सीएसआईओ कहा जाएगा) के माध्यम से (प्रथम भाग)

तथा

(ii) पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (डीम्ड टू बी युनिवर्सिटी) (संक्षिप्त नाम पीईसी अथवा पीईसी, चण्डीगढ़) (यहां इसके बाद इसे 'पीईसी, चण्डीगढ़' कहा जाएगा), जो कि चण्डीगढ़ प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है, जिसका कार्यालय सैक्टर-12, चण्डीगढ़ में है तथा इसका प्रतिनिधित्व उनके निदेशक द्वारा किया जा रहा है।

#### 1. प्रस्तावना

# • सीएसआईआर-सीएसआईओ

सीएसआईआर-सीएसआईओ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक उपकरणों के अनुसंधान, डिज़ाइन और विकास में कार्यरत एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है। यह संगठन वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी (एसीएसआईआर) के अंतर्गत एम.टैक. और पीएच.डी. कार्यक्रमों के लिए एक भागीदार प्रयोगशाला भी है। सीएसआईआर-सीएसआईओ अपने इण्डो-स्विस प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से परिशुद्ध निर्माण एवं मैकाट्रॉनिक्स और औद्योगिक स्वचलन के क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम भी संचालित करता है।

# • पीईसी, चण्डीगढ्

पीईसी संस्था, चण्डीगढ़ प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय महत्व का एक प्रमुख शैक्षिक संस्थान है। यह न विशेषत: अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान कार्य कर रहा है।

#### सामान्य रुचि के क्षेत्र

दोनों ही संस्थान आज 20 मार्च, 2021 को इस समझौता ज्ञापन में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों पर वैज्ञानिक सहयोगात्मक समझौते पर सहमित प्रकट करते हैं।?

इस समझौते के उद्देश्यार्थ दोनों संगठनों की परस्पर रुचि के सामान्य क्षेत्र निम्नानुसार है। सीएसआईआर-सीएसआईओ और पीईसी, चण्डीगढ़ (दोनों को संस्थान भी कहा जाएगा) निम्नलिखित को बढ़ावा देने के प्रयास करेंगे:

(i) दोनों संस्थानों के पारस्पिरक लाभ के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के संबंध में स्टाफ और छात्रों (संकाय, अनुसंधान विद्वानों, स्नातकोत्तर छात्रों (पीजी), स्नातक छात्रों (यूजी), स्नातकोत्तर डिप्लोमा छात्रों (पीजीडी) और अनुसंधान पिरयोजना कर्मचारियों आदि) का आदान-प्रदान। इसमें संस्थानों के

ayith.

Shoult lut

शासी नियमों के अनुसार पूर्णकालिक या अंशकालिक पीएचडी छात्रों का संयुक्त पर्यवेक्षण शामिल हो सकता है।

- (ii) परस्पर सहमित के शोध क्षेत्रों (यथा सीओई, आईओटी, आईआईओटी, प्रोडक्ट डिज़ाइन, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रोटोटाइपिंग, मैकाट्रॉनिक्स एवं इंडिस्ट्रियल ऑटोमेशन, भैतिक विज्ञान, फोटोनिक्स, ऑप्टिक्स, रसायन विज्ञान, एग्रीऑनिक्स, जैव-चिकित्सा, पदार्थ विज्ञान, नैनो विज्ञान एवं नैनोप्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर विज्ञान, सायबर सुरक्षा, डाटा विज्ञान, यांत्रिक अभियांत्रिकी तथा इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त भौतिकी से संबंधित सामान्य रुचि के किसी भी अन्य क्षेत्र में बुनियादी अनुसंधान के साथ-साथ तकनीको एवं उपकरण-विन्यास आदि के विकास के लिए विशेषज्ञता, प्रक्षेत्र ज्ञान एवं उपलब्ध सुविधाओं का आदान-प्रदान।
- (iii) परस्पर दौरों तथा/अथवा विमर्श सत्र आयोजित कर दोनों संगठनों के वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों और शोध छात्रों के बीच परस्पर विचार-विमर्श को बढ़ावा देना, जिससे कि परस्पर रुचि के उभरते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर उनमें संयुक्त अनुसंधान कार्य (बाह्य निधि प्रदत्त योजनाओं सहित) प्रारंभ किया जा सके।
- (iv) परस्पर सहमित के शोध क्षेत्रों में कार्य करने वाले समूहों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना तथा एसीएसआईआर (वैज्ञानिक तथा नवीकृत अनुसंधान अकादमी) के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग।
- (v) संयुक्त प्रकाशन और बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकारों के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान सामग्री का आदान-प्रदान। ऐसा आईपी, लागू होने पर, दोनों संस्थानों के किर्मयों/छात्रों के संयुक्त स्वामित्व को स्वीकार करेगा।
- (vi) ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन इंटर्निशिप के लिए और यूजी/पीजी/पीएचडी थीसिस के लिए छात्रों का आदान-प्रदान।
- (vii) प्रौद्योगिकी प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।
- (viii) ऊपर सूचीबद्ध आपसी हित के सामान्य क्षेत्रों में या किसी अन्य क्षेत्र में संयुक्त रूप से पुस्तकों/पुस्तिकाओं का लेखन।
- (ix) दोनों संस्थानों के स्टाफ सदस्यों और विद्यार्थियों के लिए सांस्कृतिक एवं बौद्धिक समृद्धि के लिए अवसर उपलब्ध करवाना।
- (x) परस्पर रुचि के कोई अन्य क्षेत्र।

# 2. सहयोग के क्षेत्र

सहयोग के क्षेत्रों की व्याख्या एवं उनमें संशोधन समय-समय पर इस कार्य के लिए बनाई गई समन्वय समिति द्वारा किया जाएगा।

इस समझौता ज्ञापन के तहत सहयोग/गतिविधियों के लिए निर्धारित क्षेत्रों में शामिल होंगे:

- (क) कर्मचारी विनिमय गतिविधियों के लिए निम्नलिखित में से किसी भी उद्देश्य के लिए दोनों में से किसी भी संस्थान के दौरों में निम्नलिखित शामिल होगा:
- (i) संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएँ चलाना
- (ii) आपसी लाभ के लिए मौजूदा उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई)/प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सुविधाओं का आदान-प्रदान।
- (iii) पाठ्यक्रम के विकास और समीक्षा के उद्देश्य से, कोर्स में भाग लेने तथा शिक्षण एवं अनुसंधान कौशल में उन्नयन के लिए कर्मचारियों को संलग्न करना
- (iv) सेमिनार, परिचर्चा और अन्य शैक्षणिक चर्चाओं में भाग लेना
- (v) शिक्षण कार्यक्रमों में योगदान
- (vi) स्नातकोत्तर और पीएच.डी. छात्रों का सह-पर्यवेक्षण
- (vii) अध्ययन दौरों तथा संयुक्त परामर्शी एवं अनुसंधान कार्यों को संचालन
- (viii) पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चण्डीगढ़ में सीएसआईआर-सीएसआईओ के कर्मचारियों के लिए शैक्षणिक कोर्स (स्नातकोत्तर, डॉक्टरल) करने के लिए सुविधा

Dujtyh.

-Shade R

- (ix) कौशल संवर्धन वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम
- (x) संकाय सदस्यों के लिए विकास कार्यक्रम
- (ख) छात्र विनिमय गतिविधियों (स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट छात्रों के लिए) के लिए निम्नलिखित में से किसी भी उद्देश्य के लिए दोनों में से किसी भी संस्थान का दौरा शामिल होगा:
- (i) अनुसंधान में भागीदारी
- (ii) पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चण्डीगढ़ के विद्यार्थियों की सीएसआईआर-सीएसआईओ में इंटर्निशिप
- (iii) एसीएसआईआर के विद्यार्थियों की पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चण्डीगढ में इंटर्निशप
- (iv) सीएसआईओ-आईएसटीसी के विद्यार्थियों की पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चण्डीगढ में इंटर्निशप
- (v) दोनों संस्थानों की प्रयोगशालाओं में छात्रों द्वारा प्रयोग किए जाने
- (ग) संस्थानों के आपसी समझौते के अधीन उपयुक्त शैक्षणिक सामग्री का आदान-प्रदान किया जाएगा।

### 3. सहयोग/समन्वय समिति का कार्यान्वयन

इस समझौता ज्ञापन पर आधारित सहयोग के कार्यान्वयन को, दोनों संस्थानों के संबंधित संकायों और प्रभागों/विभागों द्वारा किया जाएगा। जहां भी आवश्यक हो, सहयोग के लिए विस्तृत व्यवस्थाएँ करने के लिए प्रत्येक गतिविधि के लिए एक विशिष्ट योजना तैयार की जाएगी। ऐसी योजनाएँ प्रत्येक संस्थान के उपयुक्त अधिकारियों के अनुमोदन के अधीन होंगी। ऐसी योजनाओं के विकास की सुविधा के लिए, प्रत्येक संस्थान इस समझौते के तहत होने वाली गतिविधियों के समन्वय के लिए अपने कर्मचारियों को नामित करेगा।

दोनों संस्थानों के बीच सहयोगात्मक कार्यक्रमों की निगरानी और समीक्षा के लिए समन्वयन समिति निम्नानुसार होगी :

- क) निदेशक, सीएसआईआर-सीएसआईओ अथवा उनके नामिती
- ख) निदेशक, पीईसी, चण्डीगढ अथवा उनके नामिती
- ग) सीएसआईआर-सीएसआईओ और पीईसी, चण्डीगढ़ से समन्वयक

# समन्वयन समिति निम्नानुसार कार्य करेगी :

- संयुक्त सहयोग के लिए नवीन अनुसंधान प्रस्तावों पर विचार करना, उनका कार्यान्वयन और वित्त प्रबंधन आदि।
- चिह्नित कार्यक्रमों की समीक्षा और दोनों संस्थानों के बीच सहयोग के क्षेत्रों में संशोधनों पर विचार करना
- एमओयू को जारी रखने पर विचार करना।

# बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण

सामान्य तौर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषय निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होंगे :

- (i) इस समझौतें के अंतर्गत संयुक्त अनुसंधान कार्य के दौरान सृजित समस्त अनुसंधान परिणाम एवं पृष्ठभूमि सूचना तथा अग्रभूमि ब बौद्धिक संपदा अधिकारों, बेशक उन्हें कानूनी रूप से संरक्षित किया गया हो अथवा नहीं, पर सीएसआईओ एवं पीईसी, चण्डीगढ़ का स्वामित्व होगा।
- (ii) सीएसआईओ एवं पीईसी, चण्डीगढ़ ऋषिकेश संयुक्त अनुसंधान कार्य के दौरान सृजित शोध पिरणामों तथा अग्रभूमि सूचना को प्रकाशित करने से पूर्व एक-दूसरे से परामर्श करेंगे, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके किसी भी प्रकार के स्वामित्व वाली सूचना जारी न की जा सके और अग्रभूमि बौद्धिक संपदा

onjth

SAMULER

अधिकारों का हनन न हो। आपसी परामर्श के बाद, इस प्रकार का प्रकाशन प्रस्ताव, किसी पार्टी द्वारा प्रकाशन की सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उस पर आपित न किए जाने पर उसे प्रकाशन के लिए अनुमोदित माना जाएगा। पार्टियां गोपनीय सूचना अथवा पेटेण्ट करवाए जाने संबंधी सामग्री के प्रकटन से बचने के लिए प्रकाशित किए जाने वाली सामग्री को आशोधित/संशोधित कर सकती है। किसी भी हालत में, कोई भी पार्टी 90 दिन के लिए अथवा अंतरिम आवेदन की तिथि, जो भी पहले हो, तक प्रकाशन को रोक सकती है। संयुक्त अनुसंधान कार्य के दौरान प्राप्त शोध परिणामों एवं अग्रभूमि सूचना से संबंधित पेटेण्ट आवेदनों सिहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के आवेदन तैयार करने, फाईल करने आदि के लिए सीएसआईओ एवं पीईसी, चण्डीगढ़ आपस में बातचीत और परामर्श करेंगे।

(iii) सीएसआईओ एवं पीईसी, चण्डीगढ़ संयुक्त अनुसंधान के दौरान सृजित किसी शोध परिणाम और अग्रभूमि सूचना को एक-दूसरे की लिखित अनुमित के बिना किसी तीसरी पार्टी को प्रकट नहीं करेंगे। संयुक्त अनुसंधान/पर्यवेक्षण के लिए पार्टियों के बीच सांझा की गई किसी वैज्ञानिक सूचना को आपसी सहमित के बिना किसी तीसरी पार्टी को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

# 5. सहयोग की शर्ते

- (i) सीएसआईओ एवं पीईसी, चण्डीगढ़ पूर्व लिखित उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं पारस्परिक दायित्वों, निबंधन एवं शार्तों, वित्तीय व्यवस्थाओं, बौद्धिक संपदा अधिकारों और इसी तरह के अनुबंध संबंधी दायित्वों के साथ अनुसंधान और विकास, संकाय और छात्र विनिमय पर परियोजना समझौता करने पर सहमत है।
- (ii) जहां तक इस समझौते में किसी तीसरी पार्टी की सहभागिता का संबंध है, तो इस प्रकार की तीसरी पार्टी की इसमें सहभागिता तभी स्वीकार की जाएगी, जब दोनों पार्टियों द्वारा इस बाबत विशिष्ट सहमित का पत्र संलग्न किया जाए तथा संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधित्व वाले किसी अधिकारी के नाम का इसमें स्पष्ट उल्लेख हो तथा उसे विशिष्ट परियोजना के लिए उत्तदायी विनिर्देशित किया जाए।
- (iii) यिंद, इस समझौते के अंतर्गत किसी पार्टी कोई परामर्शी परियोजना मिलती है, तो दूसरी पार्टी को दी जाने वाली रॉयल्टी/प्रीमियम का दायित्व तैयार किया जाएगा। पार्टी को दायित्व पर सहमत होना होगा। डीएसटी/डीएसआईआर/एमईआईटीवाय इत्यादि के दिशानिर्देशों के अनुसार दोनों पार्टियों की परस्पर सहमित के बाद दायित्व की सटीक राशि का निर्धारण किया जाएगा।
- (iv) यदि, कोई पार्टी परियोजना पर कार्य करने के लिए दूसरी पार्टी को अपने उपस्करों, सुविधाओं, जनशिक्त के प्रयोग की अनुमित देती है, तो उस परियोजना का कार्यक्षेत्र, परियोजना की लागत, भुगतान की शर्ते तथा अन्य संबंधित पक्षों का निर्धारण सीएसआईओ और पीईसी, चण्डीगढ़ द्वारा डीएसटी/डीएसआईआर/एमईआईटीवाय के दिशानिर्देशों के अनुसार पृथक् प्रस्तावों के माध्यम से संयुक्त रूप से किया जाएगा।
- (v) इस समझौता ज्ञापन के तहत किसी भी प्रकार की गतिविधियों में शामिल होने वाले स्टाफ और छात्रों को देश के कानूनों और आयोजक संस्थानों के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा।
- (vi) किसी भी शोध निष्कर्ष का स्वामित्व इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनों पक्षों में निहित होगा और दोनों पक्षों से पूर्व अनुमोदन के बाद ही उससे संबंधित कोई भी प्रकाशन संभव होगा।

## 6. अस्वीकरण

यह समझौता ज्ञापन सीएसआईओ एवं पीईसी, चण्डीगढ़ द्वारा किसी प्रकार के संयुक्त उपक्रम, भागीदारी अथवा किसी प्रकार के औपचारिक व्यापार संगठन गठित करने, सृजित करने, प्रभावी बनाने अथवा इस पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से नहीं किया गया है। यहां प्रत्येक पार्टी स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करेगी तथा अन्य कार्यों के लिए किसी भी संगठन के एजेंट के रूप में कभी कार्य नहीं करेगी। किसी भी पार्टी को दूसरी पार्टी को बाध्य करने का अधिकार नहीं है।

ay dyh.

Should

# 7. गैर-अनन्य

इस समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार यह समझौता गैर-अनन्य प्रकृति का है तथा दोनों पार्टियां अपनी संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार एक-दूसरे के साथ सहयोगात्मक व्यवस्थाएं कर सकती है।

#### 8. गोपनीयता

पार्टियां समझती है कि सहभागिता के दौरान उन्हें दूसरी पार्टी द्वारा उपलब्ध करवाई गई गोपनीय सूचनाओं के बारे में जानकारी रहेगी। तद्नुसार पार्टियां सहमत है कि वे इस प्रकार की सूचनाओं को कठोरतम विश्वास एवं निष्ठा से गोपनीय बनाए रखेंगी, केवल उन सूचनाओं को छोड़कर जो अपनी प्रकृति के अनुसार गोपनीय नहीं है अथवा वे पब्लिक डोमेन में है अथवा पार्टी को किसी कानून या कानूनी दायित्व के उल्लंघन के बिना ऐसी सूचना ज्ञात होती है, बशर्ते कि पार्टी इस प्रकार की सूचना प्रकट करने की हकदार हो तथा इस प्रकार की सूचना को किसी सक्षम प्राधिकारी को प्रकट किया जाना कानूनी रूप से जरूरी हो। गोपनीयता को बनाए रखने में असफल होने पर प्रभावित पार्टी एमओयू को समाप्त कर सकती है।

# 9. वैधता की अवधि

यह समझौता ज्ञापन इस पर हस्ताक्षर की तिथि से तीन(3) वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा। समझौता ज्ञापन की वैधता अवधि के समाप्त होने पर एक नया एमओयू इसी प्रकार की/संशोधित शर्तों पर पुन: किए जाने पर विचार किया जाएगा।

#### 10. समीक्षा

दोनों पार्टियों द्वारा एमओयू की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी तथा इसमें परस्पर सहमित से ही कुछ जोड़ा/हटाया जाएगा।

#### 11. समापन

यह समझौता ज्ञापन किसी भी पार्टी द्वारा पहले से ही सहमत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की शर्त पर एक माह का लिखित नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

#### 12. संशोधन

यह समझौता ज्ञापन पार्टियों के बीच सहमित स्थापित करता है। यहां उल्लिखित अन्यथा किसी तथ्य को छोड़कर, इस एमओयू में दोनों पार्टियों के लिखित दस्तावेज एवं उस पर उनके प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ताओं के हस्ताक्षर के बिना कुछ भी जोड़ा, संशोधित अथवा आशोधित नहीं किया जा सकता।

### 13. विवादों का समाधान

इस समझौता ज्ञापन से उत्पन्न किसी विवाद या मतभेद की स्थिति में, इस तरह के विवादों या मतभेदों को पार्टियों द्वारा आपसी परामर्श से हल किया जाएगा।

Omjoyh.

5 martin

विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने 21 मार्च, 2021 को चण्डीगढ़ में, गवाह के रूप में, इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दो मूल प्रतियों में क्रियान्वयित किया गया है तथा इसकी एक सीएसआईओ-सीएसआईओ और एक प्रति पीईसी, चण्डीगढ़ द्वारा रखी जाएगी।

5. Araute Randy .

(प्रो. एस. अनन्त रामकृष्ण)

निदेशिक्षांrector

सीएसआईऔर कैस्ट्रीक केस्तानमा उपकरण संगठन Central Scientific Instruments () सैक्ट्रसेक्टर खें), चण्डीगढ्-११४००४४०

Sector 30, Chandigarh-160 030

282Jam

(डॉ. ए. के. शुक्ल)

प्रमुख,

व्यापार विकास एवं परियोजना प्रबंधन(बीडीपीएम) सीएसआईआर-सीएसआईओ, चण्डीगढ्

W.D. Shirling

(प्रो. धीरज सांघी

निदेशक Director

पंजाब इेजीि**म्पिंगांaकिक्ति**शुineering Colle**ge** सैक्टर 12, (Deemed to be University)

Chandigarh

(प्रो. दिव्या बंसले)

Deerned to be university Chandigarh डीन एल्यूमनी,

कॉरपोरेट & इंटरनेशनल रिलेशन्स,

पीईसी, चण्डीगढ

Prof. R. M. Belokar Prog. Direch Cot Giems PEC Chandized